Australian Government
Department of Home Affairs

COVID-19 का परीक्षण और उपचार

भले ही आपके पास वीज़ा नहीं है, या आप अपने वीज़ा की स्थिति के बारे में अनिश्चित हैं, तो भी आपके लिए यह आवश्यक है कि आप जनस्वास्थ्य निर्देशों का पालन करें। यदि आप अस्वस्थ महसूस कर रहे/रही हैं, तो चिकित्सीय सलाह लें और COVID-19 का परीक्षण करवाएँ।

राज्य और राज्य-क्षेत्रों की सरकारें निःशुल्क COVID-19 परीक्षण और उपचार उपलब्ध करा रही हैं।

- ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र
- न्यू साउथ वेल्स
- उत्तरी राज्य-क्षेत्र
- क्वींसलैंड
- दक्षिण ऑस्ट्रेलिया
- तस्मानिया
- विक्टोरिया
- पश्चिमी ऑस्टेलिया

मेरे पास आगंतुक [Visitor] वीज़ा या इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकार (ईटीए) [Electronic Travel Authority (ETA)] है

आगंतुक [Visitor] वीज़ा और ईटीए [ETA] ऑस्ट्रेलिया में केवल अस्थायी रूप से रहने के लिए अनुमति देते हैं। यदि आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए स्वयं अपना समर्थन करने में असमर्थ हैं, तो आपको यथासंभव अपने प्रस्थान के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया छोड़कर जाने के लिए आपको यात्रा अपवाद के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

यदि आप अपने गृह-देश वापिस नहीं जा सकते/सकती हैं, तो आपके लिए एक वैध वीज़ा बनाए रखना और जब ज़रूरी हो, ऑस्ट्रेलिया की स्वास्थ्य सलाह का पालन करना आवश्यक है।

अपने वीज़ा की अवधि समाप्त होने की जाँच कैसे करें

यदि आप ऑस्ट्रेलिया में अपनी वैध निवास की अवधि के समाप्त होने के बाद भी उपस्थित रहते/रहती हैं, तो आपका आगंतुक [Visitor] वीज़ा या ईटीए [ETA] स्वतः समाप्त हो जाएगा।

आप इनकी जाँच कर सकते/सकती हैं:

- VEVO, myVEVO ऐप ,आपके वीज़ा अनुदान पत्र या आपके ImmiAccount में उपलब्ध आपके वीज़ा विवरण की।
- हमारी ईटीए [ETA] सेवा से अपने ईटीए [ETA] की समाप्ति और शर्तों की।

ध्यान दें: यदि आप राउंड ट्रिप क्रूज़ पर ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाकर वापस आ गए/गयी हैं, तो जितना समय आपने क्रूज़ में बिताया है, वह समय ऑस्ट्रेलिया में बिताया हुआ माना जायेगा - यानि, हम ऐसा नहीं मानते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया छोड़कर गए थे/गई थीं। राउंड ट्रिप क्रूज़ से आपके वीज़ा के तहत आपकी निवास की अवधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अपने क्रूस ऑपरेटर या ट्रैवल एजेंट से पूछें कि क्या हम आपके क्रूज़ को राउंड ट्रिप क्रूज़ मानते हैं या नहीं।

मेरे वीज़ा की अवधि का विस्तारण

ऑस्ट्रेलियाई आव्रजन कानून के तहत आगंतुक [Visitor] वीज़ा या ईटीए [ETA] को आगे विस्तारित करना संभव नहीं है।

अपने वर्तमान वीज़ा की अवधि समाप्त होने से पहले आपको नए वीज़ा के लिए आवेदन करना होगा।

अधिकतर मामलों में यदि आप स्वयं का समर्थन करने में समर्थ हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित रहने के लिए आगंतुक (पर्यटक धारा) के तहत आवेदन कर सकते/सकती हैं। यदि आपने पहले ही ऑस्ट्रेलिया में नए आगंतुक वीज़ा के लिए आवेदन जमा कर दिया है, तो वेबपेज आगंतुक वीज़ा प्रसंस्करण व्यवस्था देखें।

यदि आपका आगंतुक [Visitor] वीज़ा समाप्त हो रहा है तथा आप प्रवेश प्रतिबंधों के कारण अपने गृह-देश वापिस जाने में असमर्थ हैं और आप किसी भी अन्य वीज़ा की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते/सकती हैं, तो आप COVID-19 महामारी घटना वीज़ा के लिए पात्र हो सकते/सकती हैं। आपको यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी कि आप आगंतुक वीज़ा सहित किसी भी अन्य वीज़ा की आवश्यकताओं को पूरा क्यों नहीं कर सकते/सकती हैं। इसमें एक वक्तव्य और इस बारे में प्रमाण शामिल हो सकते हैं कि आपके पास वीज़ा आवेदन शुल्क (वीएसी) का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है।

यदि आपके आगंतुक [Visitor] वीज़ा की अवधि समाप्त हो रही है और आपके पास COVID-19 के संबंध में किसी महत्वपूर्ण उद्योग के क्षेत्र में कार्य का प्रस्ताव है, तो आप COVID-19 महामारी घटना [COVID-19 Pandemic event] वीज़ा के लिए भी पात्र हो सकते/सकती हैं। ये क्षेत्र कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, वृद्ध एवं विकलांगता देखभाल और शिशु देखभाल हैं।

आप अपने लिए वीज़ा के अन्य विकल्पों के बारे में भी खोज-बीन कर सकते/सकती हैं।

नए वीज़ा के लिए आवेदन कैसे करें

हम आपको प्रोत्साहन देते हैं कि आप:

- जहाँ भी संभव हो,ImmiAccount से आवेदन करें
- अपने वर्तमान वीज़ा की समाप्ति से 4 सप्ताह पूर्व की तिथि से पहले आवेदन न करें।

जब आप नए वीज़ा के लिए आवेदन करते/करती हैं, तो आपको एक ब्रिजिंग वीज़ा प्रदान किया जा सकता है जो आपके वीज़ा आवेदन पर निर्णय होने तक आपको ऑस्ट्रेलिया में वैध बनाए रखेगा।

यदि आपके वीज़ा के साथ 'आगे न रहने की शर्त' ['No further stay condition'] जुड़ी है, तो किसी दूसरे वीज़ा के लिए आवेदन जमा करने से पहले आपको इस शर्त को हटाने के लिए निवेदन करना होगा।

यदि आपका वीज़ा पहले ही समाप्त हो चुका है, तो आप अपने वर्तमान मूल वीज़ा (substantive visa) की अवधि समाप्त होने के बाद भी समाप्ति तिथि के 28 दिनों के अंदर एक और आगंतुक वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते/सकती हैं। और अधिक जानकारी के लिए मेरे वीज़ा की अवधि समाप्त हो गई है वेबपेज देखें।

कार्य करना

आगंतुक [Visitor] वीज़ा और ईटीए [ETA] धारकों को ऑस्ट्रेलिया में कार्य करने की अनुमति नहीं है।

वीज़ा की शर्तें

विभाग [Department] यह स्वीकार करता है कि COVID-19 से संबंधित यात्रा प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप कुछ अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को अपनी योजनानुसार ऑस्ट्रेलिया से प्रस्थान करने अथवा अपने वीज़ा की शर्तों का अनुपालन करने में बाधा हो सकती है। भविष्य में किए जाने वाले किसी भी आवेदन पर विचार करते समय हम इस बात को ध्यान में रखेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण आप पर प्रभाव नहीं पड़ता है।

ऑस्ट्रेलिया में आगंतुक [Visitor] वीज़ा धारकों के लिए निम्नलिखित वीज़ा शर्तें लागू हो सकती हैं:

आगे नहीं रहना शर्त [No Further Stay condition] (जिसमें 8503, 8534 और 8535 शामिल हैं)

यदि आपके वीज़ा के साथ आगे नहीं रहना [No Further Stay] शर्त जुड़ी है, तो इस शर्त के हटाए जाने तक आप ऑस्ट्रेलिया में अधिकाँश अन्य वीज़ाओं के लिए आवेदन नहीं कर सकते/सकती हैं।

यदि आप दूसरे वीज़ा के लिए आवेदन करना चाहते/चाहती हैं और आपका वीज़ा 4 सप्ताह से कम समय में समाप्त हो जाएगा, तो आपको इस शर्त को हटाए जाने के लिए निवेदन करना होगा।

यदि आपके निवेदन को स्वीकृति दे दी जाती है, तो आपको अपने वर्तमान वीज़ा की अवधि समाप्त होने से पहले नए वीज़ा के लिए आवेदन करना चाहिए।

शर्त 8531 (वीज़ा द्वारा अनुमत निवास की अवधि के बाद ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित नहीं रह सकते/सकती हैं)

इस शर्त को हटाया नहीं जा सकता है, किंतु यह शर्त आपको आगे के वीज़ा के लिए आवेदन करने से बाधित नहीं करती है।

यदि आपके वीज़ा के साथ शर्त 8531 जुड़ी है, तो आपको अपने वर्तमान वीज़ा की अवधि समाप्त होने से पहले नए वीज़ा के लिए आवेदन करना चाहिए।

शर्त 8558 (किसी भी 18 महीनों की अवधि में 12 महीनों से अधिक समय के लिए ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित नहीं रह सकते/सकती हैं)

इस शर्त को हटाया नहीं जा सकता है, किंतु यह शर्त आपको आगे के वीज़ा के लिए आवेदन करने से बाधित नहीं करती है।

यदि आपके वीज़ा के साथ शर्त 8558 जुड़ी है, तो आपको अपने वर्तमान वीज़ा की अवधि समाप्त होने से पहले नए वीज़ा के लिए आवेदन करना चाहिए।

यदि आप ऑस्ट्रेलिया में अपनी वैध निवास की अवधि के समाप्त होने के बाद भी उपस्थित रहते/रहती हैं, तो आपका वीज़ा स्वतः समाप्त हो जाएगा।

यदि आप 18 महीनों की अवधि में कुल मिलाकर 12 संचयी महीनों के लिए ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित रहे/रही हैं, तो आपका वीज़ा स्वतः समाप्त नहीं होगा (जब तक आपने किसी एक विज़िट में अपनी निवास अवधि से अधिक समय के लिए निवास न किया हो)।

आगंतुक [Visitor] वीज़ा प्रसँस्करण व्यवस्थाएँ

COVID-19 के परिणामस्वरूप कुछ वीज़ा प्रसँस्करण अवधियाँ प्रभावित हुई हैं और आवेदनों पर अंतिम निर्णय लेने में अधिक समय लग सकता है।

जब आप ऑस्ट्रेलिया में आगंतुक [Visitor] वीज़ा के लिए आवेदन करते/करती हैं, तो आपको एक ब्रिजिंग [Bridging] वीज़ा दिया जाएगा। यदि आपके आवेदन पर निर्णय लेने से पहले आपके वर्तमान वीज़ा की अवधि समाप्त हो जाती है, तो ब्रिजिंग [Bridging] वीज़ा लागू हो जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आपकी पदस्थिति वैध बनी रहे।

जब हम आपके नए वीज़ा आवेदन का प्रसंस्करण कर रहे होते हैं, तो आप ऑस्ट्रेलिया में ब्रिजिंग [Bridging] वीज़ा पर उपस्थित रह सकते/सकती हैं। आपको अपने ब्रिजिंग [Bridging] वीज़ा अनुदान की सूचना प्राप्त करने में देरी का अनुभव हो सकता है। यदि आपने अपने वर्तमान वीज़ा की अवधि समाप्त होने से पहले नए आगंतुक [Visitor] वीज़ा के लिए आवेदन जमा कर दिया है, तो आपको अपनी वैध पदस्थिति के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही हमने अभी तक आपके ब्रिजिंग [Bridging] वीज़ा की अनुदान सूचना न भेजी हो।

यदि हमें और अधिक जानकारी की आवश्यकता होगी या जब हमने निर्णय ले लिया होगा, तो हम आपको सूचित करेंगे।

यदि हमारे निर्णय लेने से पहले आप ऑस्ट्रेलिया छोड़कर चले जाते/चली जाती हैं, तो आप अपना आवेदन वापस ले सकते/सकती हैं।

हमारे संदेशों की जाँच करने, अपने विवरणों को अपडेट करने, किसी गलती के बारे में हमें बताने या अपना आवेदन वापस लेने के लिए अपने ImmiAccount का प्रयोग करें।

सेवाओं में व्यवधान

COVID-19 के परिणामस्वरूप वीज़ा आवेदन प्रक्रिया से संबंधित कुछ सेवाएँ प्रभावित हो सकती हैं और अल्पावधि में ऐसी अनेकों सेवाओं की उपलब्धता कम हो सकती है, जिनपर हम निर्भर करते हैं (जैसे चिकित्सीय जाँचें)। यदि ऐसा होता है, तो जाँचों को पूरा करने और निवेदित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आवेदकों को अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

और अधिक जानकारी प्रदान करना

यदि आपसे और अधिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है, तो आप हमें निवेदन की गई यह जानकारी अपने ImmiAccount में यथाशीघ्र भेजें।

यदि आप समय-सीमाओं के अंदर जानकारी प्रदान नहीं कर सकते/सकती हैं, तो अपने ImmiAccount में एक स्पष्टीकरण अपलोड करें। आपके वीज़ा आवेदन पर विचार करते समय हम सेवाओं में इन बाधाओं को अपने ध्यान में रखेंगे। यदि आपके आवेदन पर निर्णय लेने से पहले हमें और अधिक जानकारी की आवश्यकता होगी, तो हम आपसे फिर से संपर्क करेंगे।

स्वास्थ्य जाँचों के लिए एपॉइंटमेंट लेना

यदि आपको अपने वीज़ा के लिए स्वास्थ्य परीक्षण करवाने की आवश्यकता है, तो हम आपको इसके बारे में बताएँगे। यदि आप इसके उत्तर के रूप में निवेदन की गई समय-सीमा के अंदर बूपा चिकित्सीय वीज़ा सेवाओं [Bupa Medical Visa Services] के साथ एपॉइंटमेंट लेने में असमर्थ हैं, तो:

- अपने ImmiAccount में एक स्पष्टीकरण अपलोड करें
- जहाँ संभव हो, अगली उपलब्ध तिथि के लिए एपॉइंटमेंट लें
- एपॉइंटमेंट नियत कर लेने के बाद हमें अपनी निर्धारित एपॉइंटमेंट तिथि अपने ImmiAccount के माध्यम से बताएँ।

हम आपके वीज़ा आवेदन पर विचार करते समय किसी भी सेवा-बाधा या समापन को ध्यान में रखेंगे। यदि आपके आवेदन पर निर्णय लेने से पहले हमें और अधिक जानकारी की आवश्यकता होगी, तो हम आपसे फिर से संपर्क करेंगे।